पुस्तकालय

1
3326
3/3/14

सत्यमेव जयते

असंशोधित

20 FEB 2014

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०....113.......तिथि....3-3-14

पंचदश विधान सभा **२० जनवरी, २०१४ ई०**

द्वादश सत्र **वृहस्पतिवार, तिथि ०१ फाल्गुन, १९३५ (शक)**

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - ११.०० बजे पूर्वाह्न)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

अध्यक्षः- माननीय सदस्यगण, अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्याः-२४५ (मा० सदस्या डा० रंजु गीता)

श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्रीः- महोदय, खण्ड १:- उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है।

खण्ड २:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड ३:- उक्त तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए और जीर्णोद्वार की कार्रवाई के लिए ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह मनरेगा से इस कार्य को पूरा करावे, यह कार्य पूरा करा दिया जायेगा।

डा० रंजू गीताः- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि उक्त तालाब बहुत पुराना है,वह कभी सूखता नहीं है और गॉव की भरी आबादी के बीचों बीच में यह तालाब है,इसका जीर्णोद्वार जरुरी है और इसमें गाद भर जाने के कारण न तो इसमें मछली पालन ही हो रहा है और न ही इसमें विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई ही की जा रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी एक समय सीमा चाहती हूँ कि कब तक इस तालाब का जीर्णोद्वार करा दिया जायेगा और मनरेगा के तरफ से इस तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण कराकर आम लोगों को मौर्निंग वाकिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध होगी, इसलिए इसका जीर्णोद्वार कब तक कराया जायेगा।

अध्यक्षः- शांति-शांति। माननीय मंत्री।

श्री नरेन्द्र सिंह, मंत्रीः- महोदय, हमने कहा कि जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण का काम पशुपालन एवं मत्स्य विभाग से नहीं कराया जाता है लेकिन हमलोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात किया है,वह मनरेगा की सूची में है,जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है कि इस कार्य को पूरा करा देंगे,तो माननीय सदस्या को मालूम होना चाहिए कि उक्त कार्रवाई हो जायगी।

डा० रंजू गीताः- महोदय, समय सीमा चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्षः- नेता प्रतिपक्ष, स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि किस समय किस बिन्दु को उठाना है।

श्री नंदकिशोर यादव,नेता विरोधी दलः- यही तो हम कह रहे हैं, आप जीरो आवर में अनुमति दे दीजिये।

अध्यक्षः- आसन प्रतिदिन आप सबों से निवेदन करता है,आग्रह करता है कि प्रश्नकाल में कोई दूसरी बात पर चर्चा नहीं की जाती है।

श्री नंदकिशोर यादव, नेता विरोधी दलः- जीरो आवर में सुना जायेगा न। यह बहुत ही गंभीर सवाल है।

अध्यक्षः- जब समय आयेगा तो देखा जायेगा।

डा० रंजू गीताः- अध्यक्ष महोदय, समय सीमा चाहती हूँ।

श्रीमती पूनम देवी यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय,जहां तक इन्होंने कहा कि स्पष्ट जवाब दिये हैं लेकिन क्या सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग के अधिकारी को कमिटी बनाकर के और नियत सम्मत निर्णय लेना चाहती है सरकार?

श्री श्याम रजक(मंत्री): इनके सवाल का इसमें से कोई संबंध नहीं है अध्यक्ष महोदय इन्होंने साफ प्रश्न किया था उस जमीन के बारे में और वो जमीन नगर परिषद का है अगर वो जमीन इस पर कोई प्रश्न करेंगे तो उसके बारे में हम जवाब देने का काम करेंगे।

श्रीमती पूनम देवी यादव: नहीं नहीं,अध्यक्ष महोदय ये माननीय मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं है,ये कहते हैं कि 2007-08 में हस्तांतरित कर दिया गया जबकि ये जमीन जिला परिषद की जमीन है हमने कहा कि ये जो है पंचायती राज के पदाधिकारी और नगर विकास के पदाधिकारी और मुख्य सचिव का एक कमिटी बनाकर के क्या जांच करना चाहती है नियम सम्मत हम यह चाहते हैं।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी,देखवा लीजिये इसको जो माननीय सदस्य कह रहे हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 251

श्री रामदेव महतो: मुख्यमंत्री जी...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य नहीं पूछना चाहते हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या- 252

अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है मंजीत जी।

श्री मंजीत कुमार सिंह:अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर में यह जवाब दिया है कि खंड-1 स्वीकारात्मक 2 स्वीकारात्मक है और 3 को आंशिक स्वीकारात्मक उन्होंने स्वीकार किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि (क्रमश:)

तारांकित प्रश्न- 252 पूरक कमशः

श्री मंजीत कुमार सिंहः कमशः सहकारिता विभाग की अधिसूचना सं0-05 दिनांक 6.6.2013 को यह स्पष्ट निर्देश था कि सभी बीमा कम्पनियों जो हैं उन बीमा कंपनियों को बिहार के 31 जिलों के अंदर सभी 15 किलोमीटर की परिधि में वेदर स्टेशन लगाए जाने थे और उस वेदर स्टेशन के द्वारा ही अनावृष्टि, अतिवृष्टि या तूफानों का आकलन करके किसानों की जो फसल की क्षति होती थी, उस आकलन के आधार पर किसानों को फसल क्षति देने का सहकारिता विभाग का अधिसूचना है महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह नहीं बताया कि बिहार के अंदर किस जिले में कितने वेदर स्टेशन लगाए गए हैं, क्या उस वेदर स्टेशन के आधार पर किसानों के फसलों की क्षतिपूर्त्ति कर किसानों को फसल की क्षतिपूर्त्ति दी गई है कि नहीं । माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर से बताएं कि किस-किस जिले में कितने मौसम संयंत्र लगाए गए और क्या उस मौसम संयंत्र के आधार पर किसानों को फसल क्षतिपूर्त्ति दी गई है कि नहीं?

श्रीमती रेणु कुमारी,मंत्री : महोदय, मैं जिन-जिन जिलों में स्वचालित मौसम केन्द्र लगा हुआ है, मैं अड़तीसों (38) जिलों की संख्या पढ़कर माननीय सदस्य को बता देती हूं - मुजफ्फरपुर में 16, पूर्वी चम्पारण में 27, मधुबनी में 21, सीतामढ़ी में 18, शिवहर में 05, गोपालगंज जहां 14 प्रखंड है, 9, सीवान में 7, भोजपुर 14, दरभंगा 18, नालन्दा 20, पटना 23, पूर्णिया 14, शेखपूरा 6, अरवल 5, बक्सर 11, वैशाली 15, खगड़िया 7, समस्तीपुर 20, औरंगाबाद 11, रोहतास 19, जहानाबाद 7, कैमूर 11, लखीसराय 7, सुपौल 11, पश्चिमी चम्पारण 18, बेगुसराय 18, नवादा 14, सारण 20, जमुई 10, मुंगेर 9, गया 24, किशनगंज 11, अररिया 9, कटिहार 16, सहरसा 5, मधेपुरा 10, भागलपुर 15, बांका 12- कुल 513 स्वचालित मौसम केन्द्र लगी हुई है, और महोदय, कोई भी प्रखंड की दूरी ऐसी नहीं है जो कि 30कि0मी0 से ज्यादा हो । कम ही परिधि में सारा है, इसलिए पूर्ण हो जाता है । जहां तक माननीय सदस्य कहते हैं कि क्षति का आकलन हो जाएगा तो महोदय ऐसा है कि खरीफ का रिपोर्ट 31मार्च तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय देता है और रब्बी फसल का रिपोर्ट 30सितम्बर तक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय देता है । जब रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगा, तब सही आकलन क्षति का पता चल जाएगा । लेकिन अभी जो मौसम स्वचालित केन्द्र लगा हुआ है वह पर्याप्त है ।

श्री मंजीत कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग के संकल्प की चर्चा मैं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री जी ने जो बताया विभिन्न मौसम संयंत्रों का, उन्होंने पूरे बिहार के जिलों का आकलन दिया और हमने यह कहा कि सहकारिता विभाग की यह अधिसूचना थी कि 15कि0मी0 के रेडियस पर लगाया जाना आवश्यक है और बीमा कम्पनियों से भी सरकार की यही समझौता हुई थी, उसकी भी कॉपी है । यह माननीय मंत्री ने प्रखंडवाइज बताया । दूसरी, प्रखंडों की दूरी 15कि0मी0 नहीं है या जिलों में दूसरे जगहों से केवल 15कि.मी. की दूरी नहीं है तो मंत्री जी यह बताएं

कि सहकारिता विभाग की अधिसूचना के आलोक में बिहार के अंदर कितने मौसम संयंत्र केन्द्र लगाए जाने थे, कितना इनका आकलन था और विभाग ने कितने लगाए हैं ,उस आलोक में मंत्री ने जवाब नहीं दिया है ।

श्रीमती रेणु कुमार,मंत्री : महोदय, जो केन्द्र जहां लगा है मैंने बता दिया है । अगर और जानना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करा दूंगा, अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री मंजीत कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह मामला किसानों से संबंधित मामला है महोदय और यह राज्यस्तरीय मामला है अध्यक्ष महोदय, और जो हमारे पास अधिसूचना प्राप्त है महोदय, माननीय मंत्री जी के खंड-3 का उत्तर महोदय, देखा जाए, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि मौसम आधारित संयंत्र लगाए गए सूची विभाग को उपलब्ध है । हमने कहा कि 15कि0मी0 पर लगाए जाने का परिधि था, कितना विभाग के द्वारा आकलन किया गया था कि 15कि0मी0 पर लगाया जाना है और उस दिशा में मंत्री जी का जवाब नहीं आया । माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न में कहा कि फसल क्षति की सूचना आंकड़ा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अप्राप्त है महोदय, जबकि इस अधिसूचना में यह स्पष्ट प्रावधान है महोदय कि आप प्रतिदिन सहकारिता विभाग, कृषि विभाग या सांख्यिकी विभाग को प्रतिदिन मौसम के आंकड़ों का आकलन करना है और उस आधार पर उनके निदेश के आधार पर बीमा कम्पनियां को किसानों को फसल की क्षति-पूर्त्ति दी जानी है । तो माननीय मंत्री जी अगर कह रही हैं कि आकलन हमलोगों ने किया है तो हमको किसी भी एक जिला का बिहार का प्रतिदिन का मौसम का आकलन यह बता दें कि किन-किन जगहों पर कितना वर्षा का अनुपात हुआ और किस आधार पर फसल की क्षति-पूर्त्ति किसानों को दी गई है ।

श्रीमती रेणु कुमारी,मंत्री: नहीं, नहीं । महोदय, हमने यह कहा कि डेली जो रिपोर्ट आता है वह तो आता ही है लेकिन पूरी क्षति का पता, हमने जो कहा कि वह जो आता है अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग से, खरीफ का 31मार्च तक और रब्बी का आता है 30सितम्बर तक, तो जब तक पूरे साल का आ नहीं जाएगा, तब तक सही आकलन नहीं होगा और मौसम स्वचालित केन्द्र हमने उनको जिला वाइज संख्या बता दिया कि कितने जिले में कितने लगे हुए हैं और टोटल 38जिलों में 513 लगा हुआ है । तो यह तो हमने बता ही दिया जिला का । अगर आप प्रखंडवाइज चाहिएगा तो प्रखंडवाइज भी है सूची, वह भी पढ़कर सुना दिया जाएगा । वह पढ़ देते हैं । यह जो प्रखंड कह रहे हैं महोदय, तो गोपालगंज में ...

अध्यक्ष: आपने तो उसको पहले पढ़ा ही है ।

श्रीमती रेणु कुमारी, मंत्री: जी । वह जिलावाइज पढ़ा था, प्रखंडवाइज भी सूची है ।

अध्यक्ष: उसकी सूची माननीय सदस्य को दे देंगे आप ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति ।

टर्न-3/20.2.2014/बिपिन ...

श्रीमती रेणु कुमारी,मंत्री: महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, होगा, नहीं होगा । यह तो साल में जब 31मार्च तक आ जाएगा, तभी सही रिपोर्ट पता चल सकता है । डेली के रिपोर्ट पर आंकना संभव नहीं है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह: महोदय, यह आकलन संभव नहीं है और सरकार ने ही अधिसूचना यह जारी की है । अधिसूचना का कॉपी मेरे पास है महोदय, और जब सरकार अधिसूचना जारी की है कि प्रतिदिन इसका रिपोर्ट देना है विभाग को उसके ई-मेल पर, तब कैसे सरकार को यह अब तक प्राप्त नहीं हुआ ? प्राप्त नहीं हुआ तो सरकार ने इस अधिसूचना के खिलाफ अपने पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की और इस मामले में, बीमा के मामले में महोदय, किसानों के साथ धोखा हुआ है । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि इस मामले की जांच ये निगरानी विभाग से कराना चाहती हैं कि नहीं ?

श्रीमती रेणु कुमारी,मंत्री: महोदय, अभी आपने यह कहा कि वह रिपोर्ट प्रतिदिन का लिया जाता है लेकिन अभी हमारे पास यहां उपलब्ध नहीं है । प्रतिदिन का रिपोर्ट विभाग ले रहा है। तो यह हम नहीं कह रहे हैं कि विभाग नहीं ले रहा है । ये जो कह रहे हैं निगरानी से जांच, जब निगरानी की जांच जरूरत पड़ेगी, जब रिपोर्ट सही नहीं आएगा, तब, और वह भी 31मार्च और 30सितम्बर के बाद । अभी कैसे कहा जा सकता है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया, आप माननीय सदस्य के प्रश्नों को जो पूरक प्रश्न है उसे गम्भीरता से ले लें और उसे दिखवा लें । (व्यवधान)

श्री मंजीत कुमार सिंह: नहीं महोदय, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का यह जवाब नहीं आ रहा है और माननीय विपक्ष के लोग भी टोका-टोकी इसमें कर रहे हैं (व्यवधान) । सरकार इसको गम्भीरता से जांच कराएगी कि नहीं कराएगी ? यह हमारे पास डॉक्युमेंट है अध्यक्ष महोदय और कल ये भाषण दे रहे थे महोदय । (व्यवधान)

महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति ।

श्री मंजीत कुमार सिंह: सुनिए मेरे प्रश्नों को आप । अध्यक्ष महोदय, यह मामला इसलिए संवेदनशील है (व्यवधान) ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : ..क्रमशः... मेरा सीधे आरोप है कि बीमा कम्पनियों ने बिहार के किसानों का १०० करोड़ का लूट किया है । इसकी निगरानी जाँच सरकार करायेगी या नहीं करायेगी?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, बैठिये । माननीय मंत्री ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : महोदय, जवाब नहीं आ रहा है ।

श्रीमती रेणु कुमारी, मंत्री : महोदय, जब स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित नहीं होगा तभी जाँच कराने की बात आयेगी न ! तो यह विभाग को यह सूचना उपलब्ध है, जैसा कि मैंने कहा कि ५१३ स्वचालित मौसम केन्द्र वहाँ पर स्थापित है । यह अगर ५१३ नहीं होता है, तब जाँच करायी जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, बहुत ही जिम्मेवारी के साथ माननीय सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, तो आप इसको गम्भीरता से देखवा लीजिये ।

श्रीमती रेणु कुमारी, मंत्री : ठीक है महोदय, निगरानी से जाँच हो जायेगी ।

श्री सदानन्द सिंह : यदि इजाजत हो अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा संवेदनशील है और किसानों की हुई फसल क्षति के मुआवजे से संबंधित है । माननीया मंत्री की ओर से यह कहा गया कि इतने संयंत्र लगे हुये हैं और विभाग को इसका प्रतिवेदन उपलब्ध है । विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध है तो उस विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर अगली तिथि को यह प्रश्न लाया जाय और विभाग से पूछा जाय कि किस तरह की कहाँ क्षति हुई है । उसके बाद उत्तर दिलवाइये । निगरानी की जाँच तो बाद में होगी, लेकिन पहले जो उत्तर आना चाहिये, जो माननीया मंत्री जी कह रही हैं.....

अध्यक्ष : क्या आप चाहते हैं माननीय सदस्य कि इस प्रश्न को अभी स्थगित किया जाय !

श्री सदानन्द सिंह : हाँ, और कल फिर लाइये । कल लाइये इसको ।

अध्यक्ष : कल नहीं ।

श्रीमती रेणु कुमारी, मंत्री : महोदय, जब माननीय सदस्य ने कहा, इनका कहना है कि स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित है, जब कहा जा रहा है कि ५१३ है तो स्थगित करने का क्या मतलब हुआ !

अध्यक्ष : आसन इसीलिये आपको सुझाव दिया कि आप इसे गम्भीरता से, जनहित का मामला है, देखवा लीजिये ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, क्या आसन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट है ?

अध्यक्ष : नहीं ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : नहीं । मंत्री कह रही हैं कि साहब इतना लगा है और अगर मंत्री को उनके अधिकारियों ने गलत बयान दिया है, गलत डाटा दिया है तो पहले

अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिये । क्यों गलत दिया ? अगर आप मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नहीं हैं, फिर कहीं और भेजने का क्या मतलब है ? मुझे यह बात समझ में नहीं आती है । अगर मंत्री का जवाब गलत है तो जिन लोगों ने गलत जानकारी मंत्री को दी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा होनी चाहिये । पहले तो यह होना चाहिये।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री इसे गम्भीरता से देखवा लेंगी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, इतना मोटा मेरे पास साक्ष्य है और मैं साक्ष्य के आधार पर सदन में बोल रहा हूं । एच०डी०एफ०सी० बैंक ने स्वीकार किया है कि हमारे पास कोई मौसम केन्द्र नहीं लगे हैं । सारे मनमाने ढ़ंग से किसानों को अध्यक्ष महोदय, यह फसल क्षति दी गई है । महोदय, एच०डी०एफ०सी० बैंक ने भी स्वीकार किया है ।

इसलिये पूरे बिहार के किसानों का यह मामला है और चलते सत्र में कल के दिन आप समय निर्धारित करिये, मैं साक्ष्य और तथ्य के आधार पर सदन में बोल रहा हूं, महोदय। पूरे बिहार के किसान के हित का मामला है । माननीय मंत्री को विभाग ने गुमराह किया है और यह मामला, हमने आरोप लगाया है.....

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : यह कैसे हो सकता है, आप आरोप लगा सकते हैं क्या, अनुमति दे सकते हैं क्या, वापस लेने की घोषणा करें । नहीं तो नहीं चलेगा सदन । यहाँ किसी को कुछ भी बोलने की अनुमति देंगे ! वापस लेना पड़ेगा आपको, यह वापस लेना पड़ेगा, नहीं हो सकता है यह.....

[इस अवसर पर भाजपा के माननीय सदस्य वेल में आ गये ।]

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, उनके बयान को वापस करिये । निकालिये प्रोसिडींग में से । कैसे आरोप लगा सकते हैं वह ?

अध्यक्ष : किसी दल की बात नहीं जायेगी प्रोसिडींग में ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : यह नहीं हो सकता है, यह क्या तमाशा है ? यह कोई बात है क्या ?

अध्यक्ष : मंत्री मंत्री होता है, मंत्री किसी पार्टी का नहीं है, मंत्री मंत्री होता है, किसी दल विशेष की बात नहीं जायेगी....

(व्यवधान जारी)

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : नाम लिया है । नहीं अध्यक्ष महोदय, उसने नाम लिया है, बिना प्रमाण के नाम लिया है उस व्यक्ति ने । कैसे नाम शामिल हो सकता है इसमें ? नहीं, नाम लिया है । यह नहीं हो सकता है, यह गलत तरीका है । यह गलत उदाहरण

कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय । यह गलत तरीका है । बिना प्रमाण के नाम लेना, यह कहीं से भी परम्परा में नहीं है । यह मनमानी नहीं चल सकता है.....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मंत्री मंत्री है, दल विशेष का नहीं है ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : मंत्री नहीं, नाम लिया है उन्होंने.....

(वेल में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने-अपने स्थान पर जाइये ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : नाम लिया है उसने.....

अध्यक्ष : प्रोसिडींग से हटा दिया है.....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : नाम लिया है साहब, क्या बात कर रहे हैं !

अध्यक्ष : प्रोसिडींग से हटा दिया है.....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : यह नहीं हो सकता है, यह गलत है, गलत परम्परा कायम कर रहे हैं । आप नहीं चलाना चाहते हैं हाऊस, यह गलत परम्परा नहीं चलेगी । बिना प्रमाण के कैसे कोई नाम लेगा और आप उसको शामिल कर रहे हैं, आप हटाने का आदेश नहीं दे रहे हैं । यह तरीका है क्या सदन चलाने का !

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति-शांति । अभी तत्काल इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है और आसन पूरी घटनाक्रम को, जो कुछ बोले हैं या जो कह रहे हैं माननीय सदस्य, उसको देखने के बाद निर्णय लेगा ।

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : पहले माफी माँगें जिन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया है, पहले माफी माँगें जिन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया है । यह कौन-सी परम्परा कायम हो रही है सदन के अन्दर बिना प्रमाण के नाम लेकर आरोप लगाने की ! कैसी परम्परा कायम की जा रही है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सबों से आग्रह है कि आप अपने-अपने.....

श्री नन्द किशोर यादव, नेता विरोधी दल : जिनलोगों ने गलत ढ़ंग से नाम लेकर आरोप लगाया है, या तो पहले माफी माँगें.....

(सदन के वेल में नारेबाजी जारी)

अध्यक्ष : वेल से कही गई कोई भी बात प्रोसिडींग में नहीं जायेगी । वेल से कही गई कोई भी बात प्रोसिडींग में नहीं जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सबों से आग्रह है कि अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : १२.३० बजे दिन तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है ।

...स्थगन...